

सूचना

सभी हितधारकों को फिर से सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता द्वारा फीस जमा करने के वैध तरीके इस प्रकार हैं: -

- ▶ ऑनलाइन मोड
 - डेबिट कार्ड- वीज़ा, मास्टर, मेस्ट्रो, रुपये कार्ड आदि।
 - क्रेडिट कार्ड- वीज़ा, मास्टर, रुपये कार्ड आदि।
 - इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग-
 - यूपीआई
 - पीओएस मशीन (जहां 8 किलोमीटर के दायरे में किसी केवी के पास बैंक की कोई शाखा न हो)।
- ▶ बीबीपीएस
 - भारत बिल भुगतान- कई भुगतान मोड के साथ सक्षम चैनल/ऐप।
- ▶ ऑफ़लाइन मोड
 - यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी भी शाखा में भौतिक चालान के माध्यम से।

नोट:-

1. विद्यालय काउंटर पर या केवी (स्थायी या संविदा) के किसी भी कार्यालय कर्मचारी के माध्यम से नकद में फीस जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो माता-पिता/छात्रों को होने वाली किसी भी हानि की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।

2. माता-पिता प्रिंट रसीद बटन पर क्लिक करके यूबीआई शुल्क पोर्टल से वास्तविक/प्रामाणिक यूबीआई शुल्क रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।

3. माता-पिता को ऑनलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करते समय केवल वैध यूआरएल (<https://epay.unionbankofindia.co.in/kvfee/default.aspx>) के माध्यम से फीस जमा करनी चाहिए।